Dhiman

(11)

Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश

संख्या टीडीसी/3/201/2015–2डीसी/ दिनांक

श्री राजेन्द्र कुमार मैहता, मैथ अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवानी अब तोशाम को निदेशालय के ज्ञापन संख्या टी.डी.सी. 3/201/2015–2डी.सी./167 दिनांक 03.03.2015 द्वारा नियम–7 के अधीन आरोपित किया गया था जिसमें उस पर निम्न आरोप लगाए गए थेः–

यह हैं कि श्री राजेन्द्र कुमार मैहता, मैथ अनुदेशक द्वारा दिनांक 1.12.2014 व 4.12.2014 को संस्थान के प्रांगण में श्री नन्द किशोर, वर्ग अनुदेशक पर लकड़ी के फटटे से वार करना व मारने की धमकी देना, दिनांक 1.12.2014 को श्री जगदीश प्रसाद, कारपेन्टर अनुदेशक के साथ गाली गलोच करना, दिनांक 27.1.2015 को श्री जगदीश प्रसाद कारपेन्टर अनुदेशक के साथ मारपीट व मुहँ व हाथ को काटना व संस्थान में अपने धर्म गुरू आसाराम बापू का प्रचार करके संस्थान में छात्रों से हुटिंग करवाना और प्रशिक्षण कार्य न करवाकर संस्थान में अनुशासनहीनता फैलाना।

श्री राजेन्द्र कुमार मैहता ने इस आरोप पत्र का उत्तर अपने पत्र दिनांक 16.03.2015 द्वारा दिया कर्मचारी द्वारा दिए गए उत्तर को असंतोषजनक मानते हुए मामले की सत्यता जानने के लिए श्री संजीव शर्मा, सहायक निदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में कर्मचारी पर लगाए गये सभी आरोप सिद्व होने बताए।

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री राजेन्द्र कुमार मेहता, मैथ अनुदेशक को इस जांच रिपोर्ट की प्रति भेजते हुए ज्ञापन संख्या टीडीसी/3/201/2015–2डीसी/1237 दिनांक 10.6.2016 को Removal from Service का अस्थाई नोटिस दिया गया। श्री राजेन्द्र कुमार मैहता ने इस नोटिस का उत्तर दिनांक 27.6.2016 को दिया जिसमें उसने बताया कि दो वर्ष पहले दो कर्मचारियों के साथ उसकी कहासुनी में उसने प्रार्थना सभा के सभी छात्रों के सामने माफी मांग ली थी, वर्तमान झगड़े में भी पहले गलती न करने के बावजूद उसने व उसके परिवार के सदस्यों ने लिखित माफी मांगी थी। परन्तु प्रधानाचार्य द्वारा उसे निलम्बित करवा दिया गया था क्योंकि गलती उसी की ही थी, इसलिए उसने प्रधानाचार्य से मौखिक रूप से माफी मांग ली थी।

श्री राजेन्द्र कुमार मैहता, मैथ अनुदेशक द्वारा दिए गए उत्तर का अध्ययन किया गया जो संतोषजनक नहीं है। अतः मैं श्री राजेन्द्र कुमार मैहता, मैथ अनुदेशक को ज्ञापन संख्या टीडीसी/3/201/2015–2डीसी/1237 दिनांक 10.6.2016 को Removal from Service की दी गई प्रस्तावित सजा को स्थाई करने के आदेश पारित करता हूँ।

हस्ता/-
(अंशज सिंह, आई.ए.एस.)
निदेशक
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पंजीकृत
सेवा में,

श्री राजेन्द्र कुमार मैहता, मैथ अनुदेशक
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तौषाम।

पृ0कमांक संख्या टीडीसी/3/201/2015–2डी.सी./ 6471 दिनांक 9/8/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है :–

1. सहायक निदेशक (स्थापना–4.)।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तौषाम।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवानी।
4. उप–अधीक्षक,ए.सी.आर.।
5. सहायक निदेशक प्रशिक्षण–5 को (विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।

हस्ता/- 8/8/16
सहायक निदेशक (अनुशासनिक सैल)
कृतेः– निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।